न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–126/2019 — दायर दिनांक: 09.08.2019

GCMS NO:- 2019/00394

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. श्योजीलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. देवलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. पप्पूलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. नवलकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. गिरिराज पुत्र प्रभूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामस्वरूप पुत्र रामकुंवार जाति गूर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. गोविन्दलाल पुत्र रामकुंवार जाति गूर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रामसागर पुत्र रामकुंवार जाति गूर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. किसकन्दा पुत्री रामकुंवार जाति गूर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. जगनाथी पुत्री रामकुंवार जाति गूर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. छोटूलाल पुत्र किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. ओमप्रकाश पुत्र किशना जाति गूर्जर निवासी ग्राम बामनगांव तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. रामचन्द्र पुत्र नारायण जाति खटीक निवासी वार्ड नं0 16 नैनवां जिला बून्दी।
11. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 02.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण 3 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 1763,1764 कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम बामनगांव में खसरा संख्या 1754, 1754/2967 भूमि प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व 2 की है। यह कि प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का रास्ता बामनगांव से नैनवां जाने वाले आम रोड से फटकर खसरा संख्या 1754, 1754/2967 के दक्षिणी मेर में होकर निकल रहा है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिए रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अ[illegible] समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 [illegible] पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि में जाने का वर्षों दराज पुराना रास्ता नैनवां बामनगांव के रोड पर से होकर खसरा संख्या 1760,1761,1762 में होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1763 में पहुंचता है। जो निर्बाध रूप से उपयोग में आ रहा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त मौके पर अन्य रास्ता खसरा संख्या 1745,1778,1776,1746 के मध्य मेरो पर होता हुआ खसरा संख्या 1774,1765,1768 की मेरो पर होता हुआ प्रार्थीगण के खेत तक आता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। यह कि प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा संख्या 1759 में से रकबा 30 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 60 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 1760/3212 में से रकबा 40 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 80 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 1760 में से रकबा 7 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बामनगांव में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बामनगांव पटवार मण्डल बामनगांव तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण एवं प्रत्यार्थीगण 3 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 1763,1764 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा संख्या 1759 में से रकबा 30 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 60 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 1760/3212 में से रकबा 40 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 80 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 1760 में से रकबा 7 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा भूमि, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवा
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner